समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण अपील संख्या–73 / 2022–23

भूतनाथ शर्मा वाहन (ट्रैक्टर डाला सहित) नं0–BR-20G-0837 स्वामी)

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

05.01.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के राज्यसात वाद सं0–21 / 2021 (राज्य सरकार बनाम् वाहन (ट्रैक्टर डाला सहित) नं0–BR-20G-0837 के स्वामी में दिनांक–01.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद भूतनाथ शर्मा पिता शशि भूषण शर्मा पता पो0 चिकसिया, थाना चास(मु0), जिला बोकारो के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–52(1) के अन्तर्गत दाखिल किया गया है।

वाद का सार यह है कि दिनांक–03.02.2021 को प्राप्त सूचना के आधार पर करीब 05:00 बजे शाम में अनुमण्डल पदाधिकारी, चास, मुफसिल थाना चास के पुलिस बल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास वन प्रक्षेत्र एवं वनरक्षी के साथ भवानीडीह उर्फ फुदनीडीह में छापेमारी के दौरान देखा कि भवानीडीह उर्फ फुदनीडीह मौजा के अधिसूचित वन भूमि में बड़े पैमाने पर लोगो के द्वारा जे0सी0बी0, पोकलेन, हाईवा एवं ट्रैक्टर से अतिक्रमण कर भूमि को खण्डित करते हुए अवैध कब्जा के लिए मिट्टी काटकर समतलीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। घटना स्थल की ओर पुलिस बल को आते देखकर अभियुक्त इधर–उधर भागने लगे। गिरफ्तार अभियुक्तों से भूमि से संबंधित कागजात माँगे जाने पर कोई कागजात नहीं दिखाया गया। फलस्वरूप जाँच दल द्वारा वन अपराध में संलिप्त कुल 22 वाहनों को पकड़ा गया जिसमें वाहन (ट्रैक्टर डाला सहित) नं0–BR-20G-0837 भी सम्मलित है। उसके पश्चात घटना स्थल पर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा–52 के अन्तर्गत विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर प्रश्नगत वाहन को जप्त किया गया एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा–52(c) के

अन्तर्गत वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो द्वारा उक्त जप्त वाहन को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया गया है।

उक्त के क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की ओर विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि मौजा भवानीडीह उर्फ फुदनीडीह जहाँ से प्रश्नगत वाणिज्यिक वाहन (ट्रैक्टर डाला सहित) नं0–BR-20G-0837 को जप्त किया गया है वह पूर्णतः रैयती भूमि है, जिसकी खरीद–बिक्री की जा सकती है। यह सच है कि 1958 में अधिसूचना द्वारा प्रश्नगत भूमि को संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन वह व्यक्तियों और निजी पार्टियों के अधिकारों के अधीन था जिसे बाद में एफ0एस0ओ0 और डी0एफ0ओ0 के आदेश द्वारा वन भूमि से मुक्त कर दिया गया था। इसका उल्लेख कई सरकारी पत्रों एवं अधिकारिक पत्राचारों में मिलता है। अतः वन विभाग के पास प्रश्नगत वाहन को जप्त करने का कोई वैध कारण या आधार उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा की गई कार्यवाही सरासर दोषपूर्ण एवं गलत है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को वाहन मालिक द्वारा दायर जब्ती की कार्यवाही की अवधि के दौरान बांड प्रस्तुत करने पर वाहन विमुक्त करने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–53 के तहत आवेदन दिया गया था जिस पर निर्णय लिए बिना ही उनके द्वारा राज्यसात कार्यवाही हेतु दिनांक–01.10.2021 को अंतिम आदेश पारित कर मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश दिनांक–30.09.2021 की अवेहलना की गई। जबकि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वाहन विमुक्ति के लिए लंबित आवेदन पर निर्णय प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा लिया जाना है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी जानकारी होने के बाद भी तथ्यों/साक्ष्यों तथा भारतीय वन अधिनियम में उल्लेख किये गए कानूनों की विस्तृत विवेचना किये बिना ही राज्यसात के कार्यवाही का अंतिम आदेश पारित किया जाना उतना ही गलत है जितना कि वन अधिकारियों के कर्तव्य में लापारवाही से राज्य

सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया कि प्रश्नगत वाहन वन परिसर में खुले आसमान के नीचे लावारिस हालत में पड़ा हुआ है और खराब हो रहा है। यह वाहन सिर्फ अपीलकर्त्ता की आजीविका का स्त्रोत ही नहीं बल्कि सरकार के राजस्व का भी एक स्त्रोत है जिसे गैर कानूनी जब्ती के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। वाहन मालिक को वाहन के जप्त होने से वाणिज्यिक भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास के न्यायालय द्वारा दाखिल–खारिज वाद में पारित आदेश दिनांक–21.07.2003 जो वन विभाग के विरूद्ध पारित है जिसमें रैयतों/भूमि मालिकों के पक्ष में पूरे तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रख कर पारित किया गया है। बाद में उक्त आदेश के विरूद्ध उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो के न्यायालय में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा रिविजन वाद दायर किया गया जिसमें मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक–17.07.2004 को आदेश पारित कर डी0सी0एल0आर0 के आदेश को बरकरार रखा गया है। उक्त आदेश का भी प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित कानून के प्रावधानों को व्याख्या करने पूरी तरह से विफल रहा है। उनके द्वारा सहारा इण्डिया के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पी0सी0सी0एफ0, राँची को प्रस्तुत शिकायत में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में वन विभाग के निष्कर्षों और टिप्पणियों की पूर्ण रूप से अवहेलना करते हुए अंतिम आदेश पारित किया गया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा आधारहीन और गलत तथ्यों के आधार पर आदेश पारित कर प्रश्नगत वाहन को जब्त करना मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के मूल अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर एवं समय नहीं दिया गया है जबकि अपीलकर्त्ता के द्वारा किसी भी भारतीय वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसे में उन्होंने निम्न न्यायालय के द्वारा जब्त वाहन को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो द्वारा दलील दिया गया कि अपीलकर्त्ता ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष सभी दस्तावेजों की छायाप्रति बिना हस्ताक्षर के प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अध्याय–5 के अन्तर्गत उक्त दस्तावेज न तो प्राथमिक है ना तो द्वितीय दस्तावेज की श्रेणी में आते है। इस वाद में प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने एवं पेड़ पौधों को उखाड़ने, जलाने के विरूद्ध निर्णित किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि उक्त भूमि रैयतों से खरीद की गई है। विज्ञ लोक अभियोजक के द्वारा कहा गया कि Notification No.-4466/VIF29/42R दिनांक–28.4.27 एवं Notification No.-9188-VIF316/ 48R दिनांक–27. 7.48 के द्वारा प्लॉट सं0–40, 58, 63, 69, 44 एवं 391 में स्थित 39.14 एकड़ भूमि को Private Protected Forest बिहार Act III of 1946 and Bihar Act IX of 1948 के द्वारा घोषित किया जा चुका है। उक्त तथ्य की पुष्टि अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल Forest Settlement Officer M.P.Singh के हस्ताक्षरित 25.02.50 के Settlement Order से होती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लॉट सं0–44, 63, 69 अभी भी Private Protected Forest है। क्योंकि इसे अब तक धारा–47 के द्वारा सरकार के किसी अधिसूचना के द्वारा release नहीं किया गया है। Bihar Private Forest Act 1947 की धारा–51 एवं धारा–52 के अन्तर्गत यदि वन अपराध किये जाते है तो वन पदाधिकारी के द्वारा Property confiscate की जा सकती है। अतः इस वाद में राज्यसात की कार्यवाही पूर्णतः वैध है। उनका यह भी कहना है कि In the case of T.N. Godavaraman v/s UOI AIR 1997 SC 1228, 1233 SC held that the expression "Forest Land" includes within its meaning all forest area as well as any area recorded as forest in the Government record irrespective of its ownership. The prior approval of the Central Government is mandatorily required before permitting its use for non-forest purpuse. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपीलकर्त्ता का यह कहना कि रैयती जमीन पर Forest Act. लागू नहीं होता कहना गलत है। क्योंकि उक्त रैयती जमीन को पहले ही Private Protected Forest घोषित किया जा चुका है और इस वाद में अपीलकर्त्ता के द्वारा अपनें Non-Forest use से संबंधित कार्य के

लिए किसी प्रकार की अनुमति केन्द्र सरकार अथवा प्राधिकारवान कार्यालय से नहीं ली गई है। जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है। इस आधार पर भी भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–52 के अन्तर्गत राज्यसात किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि वन विभाग के द्वारा सही तथ्यों के आधार पर राज्यसात की कार्यवाही की गई है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन पर विचार करना उचित नहीं होगा।

उभय पक्षों के दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मौजा भवानीडीह उर्फ फुदनीडीह को वर्ष 1958 में अधिसूचना द्वारा प्रश्नगत भूमि को संरक्षित वनभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन बाद में जाँच प्रक्रिया के दौरान उक्त भूमि को एफ0एस0ओ0 और डी0एफ0ओ0 के आदेश द्वारा वन भूमि से मुक्त कर दिया गया था चूँकि यह रैयतों के साथ settled किया गया था और रैयत का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में था। Released plot की सूची बाद में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा अपर समाहर्त्ता, धनबाद को अपने कार्यालय पत्रांक–1256 दिनांक–25.05.1974 के द्वारा भेजी गई थी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल के पत्रांक–3128 दिनांक–16.08.2000 द्वारा अंचल अधिकारी, चास को प्रेषित पत्र में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मौजा भवानीडीह उर्फ फुदनीडीह थाना चास थाना सं0–27 के प्लॉट सं0–44, 45, 46, 47, 48, 67, 56, 58, 63, 66, 68, 69, 209 एवं 210 वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है तथा इसके दाखिल–खारिज करने में कोई आपत्ति नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, चास के न्यायालय द्वारा दाखिल–खारिज वाद सं0–07/2000–01 में दिनांक–21.07.2003 को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया गया था कि मौजा भवानीडीह उर्फ फुदनीडीह में कभी भी वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उक्त भूमि पर कभी भी वन विभाग का अधिपत्य रहा। विमुक्त भूमि का लगान निर्धारण की अनुमति राजस्व विभाग द्वारा दी गई है। सर्वे खतियान से आज तक विभिन्न रैयतों के नाम से जमाबंदी चलती रही है। बाद में उक्त आदेश के विरूद्ध वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो के न्यायालय में

रिविजन वाद दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–17.07.2004 को आदेश पारित कर डी0सी0एल0आर0 के आदेश को बरकरार रखा गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध विद्वान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मेसर्स सहारा इण्डिया के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पी0सी0सी0एफ0, राँची को प्रस्तुत शिकायत में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को उनके कार्यालय पत्रांक–1105, दिनांक–17.08.2021 से प्रेषित है, में निम्नलिखित तथ्यों एवं निष्कर्षों को स्पष्ट किया गया है–

1. Since all the land released by FSO has been in continous peaceful possession of different raiyats under valid jambandi under raiyati khata uncontested by Forest Department, the transfer of ownership of the said land among different raiyats or entities under valid sale deeds over period of time and the consequent mutation cases having been finally decided in favour of Raiyats M/s Sharara India by the orders of Dy. Commissioner, Bokaro, any activity on those lands whether cultivation, construction or any thing else by the owners of those lands or their authorized representatives can not be considered as offenses under the provisions of Indian Forest Act, 1927 and therefore no action can be taken nor can the action taken be justified under the said Indian Forest Act.

2. Even if the DFO thinks that provisions of Forest Conservation Act, 1980 are applicable, he can not resort to action under Indian Forest Act, 1927 as the forest land is released and no longer under control and custody of forest department and the two Acts are different with different scope, objects and functions. At the most, he can make a report of non forestry activity, for any violation of section 2 of FC Act 1980, to the regional office of MoEF, GOI for FC Act, through proper channel as the power to make complaints and prosecute under FC Act 1980 rests with the CF or CCF of regional Office of MoEF, GOI. Hence the action taken by DFO, Bokaro under Indian Forest Act is not as per law.

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस राज्यसात की कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व विद्वान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा विधिवत रूप से तथ्यों की विस्तृत जाँच नहीं की गई है अर्थात उनके द्वारा न तो भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के म्यूटेशन वाद सं0–07/2000–01 में दिनांक–21.07.2003 को पारित आदेश, न ही उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो के न्यायालय आदेश दिनांक–17.07.2004 जिसमें डी0सी0एल0आर0 के आदेश को बरकरार रखा और न ही प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के जाँच प्रतिवेदन को। ऐसे में विद्वान वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश न्याय विरूद्ध एवं आधारहीन है।

वर्णित परिस्थिति में अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के राज्यसात वाद सं0–21/2021 (राज्य सरकार बनाम् वाहन (ट्रैक्टर डाला सहित) नं0–BR-20G-0837) में दिनांक–01.10.2021 को पारित आदेश को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

05.1.2023
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

05.1.2023
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No..15.......Dated.6/1/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.21 14:06:24 +05:30
Location: 192.168.1.102